लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/281 भोपाल, दिनांक 03.09.2025

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे शासकीय विद्यालयों मे रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध ।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्र/199 दिनांक 26.06.2025।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षको की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों मे अतिथि शिक्षको की व्यवस्था हो गई है। सितम्बर माह से उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है–

1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत **Guest Faculty Management System** मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखण्ड पेनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेगें।

1.1 विद्यालय मे किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक के रूप मे कार्य किया है, तथा आवेदक का नाम विकासखण्ड की पेनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय मे आमंत्रित किया जा सकेगा।

1.2 अतिथि शिक्षक आमंत्रण नवीन GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरूद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेगें।

1.3 शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखण्ड के पेनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची मे दिये गये दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति/असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी **संलग्न परिशिष्ट–1** पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेगें।

Scanned with OKEN Scanner

1.4 जिस आवेदक को विद्यालय मे अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत **Guest Faculty Management System** मॉड्यूल मे ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए।

1.5 शाला प्रभारी आवेदको की विकासखण्ड मेरिट पेनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिकायत पाये जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

1.6 शाला प्रभारी मेरिट क्रम मे आमंत्रित किये गये आवेदक का स्कोर कार्ड मे दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर, दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाये जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए।

1.7 अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है। ऑफलाईन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नही किया जायेगा।

1.8 समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाईन ई–अटेडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफार्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी संबंधित की उपस्थिति ई– अटेडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय भुगतान किया जायेगा।

1.9 शाला प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्यवाही हेतु हेल्प मेनुअल पत्र के साथ संलग्न है।

2. उक्त कार्यवाही दिनांक 03.09.2025 से आरम्भ हो सकेगी। तथा अतिथि शिक्षक को ऑनलाईन दिनांक 8 सितम्बर 2025 से कराया जा सकेगा।

उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025–26/282 भोपाल, दिनांक 03.09.2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. Niesi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं समयसीमा मे पोर्टल पर कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि पोर्टल पर उपलब्ध विकाखण्ड .... पेनल नाम............. की मैरिट सूची में आमंत्रित आवेदक कु/सुश्री/श्रीमति/श्री ....का पेनल की मैरिट सूची मे स्थान .... वॉ है। तथा आमंत्रित किये गये आवेदक का स्कोर कार्ड में अंक .... है। आमंत्रित किये गये आवेदक से मैरिट क्रम मे उच्च स्कोर कार्डधारी आवेदकों द्वारा विद्यालय मे उपस्थित होने की असहमति प्रदान की गई है, जो विद्यालय के कार्यालयीन रिकार्ड मे सुरक्षित संधारित की गई है। जिन आवेदकों के द्वारा दूरभाष पर असहमति दी गई है, उनके मोबाईल नम्बर, दिनांक एवं समय कार्यालयीन रिकार्ड में दर्ज किये गये है।

हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा

शाला प्रभारी

Scanned with OKEN Scanner